**भारत सरकार**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**
**पशुपालन और डेयरी विभाग**
**लोकसभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या - 2661**
**दिनांक 04 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर**

**पक्षियों और पशुओं का अवैध व्यापार और उनके प्रति क्रूरता**

**2661. सुश्री सयानी घोषः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर के खुले बाजारों में पक्षियों और अन्य पशुओं की अवैध बिक्री, परिवहन तथा उन्हें पिंजरे में रखने का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों, दर्ज किए गए मामलों, चलाए गए अभियोगों और हासिल की गई दोषसिद्धि की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने विद्यमान कानूनों के अंतर्गत शास्तियों की पर्याप्तता की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा अवैध वन्यजीव और पक्षी व्यापार पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों के समन्वय से क्या उपाय किए गए हैं; और
(ङ) क्या पशु क्रूरता के संबंध में प्रवर्तन, निगरानी और जन-जागरूकता को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

**उत्तर**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**
**(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)**

(क) से (ङ) केंद्र सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम, 2018, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम, 2017, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाजार विनियमन) नियम, 2017, पशु परिवहन नियम (यथा संशोधित), और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (अंडे देने वाली मुर्गियां) नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के पशुओं के आवास, बिक्री, परिवहन और रखरखाव के कल्याणकारी मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 लागू किया गया है। अधिनियम की अनुसूची I और II में विनिर्दिष्ट प्रजातियों को शिकार और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए अत्यधिक सुरक्षा प्रदान की गई है। वन्य जीवों और संरक्षित पक्षियों के अवैध व्यापार से संबंधित मामलों का निपटान वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 और इसके अंतर्गत बनाए गए उपर्युक्त नियमों के साथ ही वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है, जो उनकी नामित प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। तदनुसार, पक्षियों और अन्य पशुओं की अवैध बिक्री, परिवहन और पिंजरे में बंद करने के संबंध में किए गए निरीक्षणों, दर्ज मामलों, शुरू किए गए अभियोगों और दोषसिद्धि के मामलों से संबंधित जानकारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और

संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा रखी जाती है। यह जानकारी पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

भारत सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत मौजूदा जुर्माने की समीक्षा की है जो काफी कम है और अधिक प्रभावी नहीं है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम में वन्य जीव अपराध में इस्तेमाल किए गए किसी भी उपकरण, वाहन या हथियार को जब्त करने की भी व्यवस्था है।

(ख) पक्षियों और उनके आवास सहित वन्य जीवों के संरक्षण के लिए देश में संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क बनाया गया है।

(ग) MoEF&CC की केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव आवासों का विकास' और 'प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट' के अंतर्गत वन्य जीवों के प्रबंधन और उनके आवास के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) चिह्नित की गई 25 अत्यंत लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाने हेतु MoEF&CC की केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना 'वन्य जीव आवासों का विकास' के अंतर्गत, 'अत्यंत लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों को बचाने के लिए रिकवरी कार्यक्रम' संबंधी विशिष्ट घटक शामिल किया गया है।

(ङ) वन्य जीव संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा ईको विकास क्रियाकलाप चलाए जा रहे हैं।

(च) संगठित वन्य जीव अपराधों से निपटन के लिए विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने हेतु MoEF&CC के अंतर्गत वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) का गठन किया गया है।

(छ) WCCB द्वारा राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को अवैध शिकार और वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एडवाइजरी और अलर्ट जारी किए जाते हैं।

(ज) वन्य जीव अपराधों के नियंत्रण में सहायता करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों जैसे सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि को WCCB द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

(झ) भारत, वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (CITES), दक्षिण एशियाई वन्य जीव प्रवर्तन नेटवर्क (SAWEN) का एक पक्षकार है तथा वन्य जीव अपराध नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

(ञ) वन्य जीवों की निगरानी, अवैध घुसपैठ का पता लगाने और शुरुआती चेतावनी प्रणाली के लिए कैमरा ट्रैप, ड्रोन, वायरलेस, ई-सर्विलांस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।

इसके अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) के माध्यम से राज्य सरकारों और राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्डों के साथ समन्वय करता है और एडवाइज़री जारी करके पशुओं के प्रति क्रूरता के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाता है। भारत सरकार, कानूनों और नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों को भी एडवाइज़री जारी करती है।

*****